



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-2209 / 18A(1) दिनांक, देहरादून, 21 मार्च 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगाँव से नाहीकला तक मार्ग के निर्माण हेतु 3.238 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/ROAD/37612/2018)

सन्दर्भ:- उप महानिरीक्षक वन (के०), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक- 8B/U.C.P/06/88/2020/F.C/1201 दिनांक 20.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उप महानिरीक्षक वन (के०), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक- 8b/U.C.P/06/88/2020/F.C/1201 दिनांक 20.03.2023 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 3048/12-1 दिनांक 16.03.2023 से बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी हैं:-

क्र०	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर
1.	In reply to the point no 3 (b), the certificate given by the State government the aerial distance of the area falls in Eco-Sensitive zone Rajaji National Park is not duly signed by the DFO. State Government may submit the aerial distance certificate duly signed by the DFO.	बिन्दु सं०-1 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक- 3201/2क/1/2021 आई०टी०- forest department (computer no-1616) द्वारा निर्गत हवाई दूरी का प्रमाण पत्र आनलाईन पोर्टल के part-1 में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2.	In reply to point no 4 details still found incorrect. State Government may correct the details of the trees mentioned at para 4 in part II as they are not matching with the details submittd in tree enumeration list. Details of 10-20 dia trees as per the tree enumeration list mentioned in 0-30 cm column in part II	Part II के बिन्दु सं०-4-(II) में वृक्षों की प्रजाति वार सूचना के अन्तर्गत कुल प्रभावित होने वाले आरक्षित वन एवं ग्राम समाज भूमि तथा नाप खेत में वृक्षों की कुल संख्या-364 है।
3.	बिन्दु क्रम 35 के आगे मार्ग निर्माण का कोई औचित्य नहीं है तथा राज्य शासन द्वारा तोक कोटला की जनसंख्या प्रत्येक बार अलग-अलग दर्शाई गई है। अतः राज्य सरकार बिन्दु क्रम 35 तक संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करेगी तथा इस हेतु संशोधित लैंड शेडयूल, मलवा निस्तारण योजना, एन० पी० वी० शीट, बार चार्ट, सी० ए० विवरण, tree enumeration प्रेषित करेगी।	बिन्दु क्रम 35 संशोधित प्रस्ताव हेतु मलवा निस्तारण योजना, बार चार्ट, प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा आनलाईन पोर्टल अपलोड कर दिया गया है। प्रभाग द्वारा लैंड शेडयूल, एन० पी० वी० की वर्तमान दरों पर आंगणन तथा सी० ए० योजना व tree enumeration list आनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के समबन्ध में अग्रेतर कार्यवाही किए जाने हेतु विचार करना चाहे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजीव धोमान)

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक-2209 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिकृति:- प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजीव धोमान)

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, देहरादून।